न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07/2018

1. तुलसीदेवी पत्नि श्री चाननराम जाति मेघवाल निवासी 18 जी.जी. तहसील व जिला जिला श्रीगंगानगर।
2. चाननराम पुत्र श्री अमरसिंह जाति मेघवाल निवासी 18 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. परमजीतसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी गणेशगढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. जगजीतसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी गणेशगढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. सुरेन्द्र सिंह पुत्र गिरधारीसिंह जाति जटसिख निवासी गणेशगढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री गुरचरणसिंह अधिवक्ता   प्रार्थी

– :: निर्णय ::–   दिनांक :– 31.05.2018

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील श्रीगंगानगर के चक 28 एल.एन.पी. प्रथम पटवार हल्का गणेशगढ़ के खाता संख्या 29/59 में संयुक्त रूप से मुरब्बा नम्बर 3 में किला नम्बर 17/.126व किला नम्बर 18 से 24 प्रत्सेक में 0.253 हैक्टर व किला नम्बर 25/.126 कुल 2.023 हैक्टर बारानी रकबा दर्ज जमाबन्दी है।

प्रार्थीगण के उक्त रकबा में कोई भी रास्ता की सुविधा नहीं है प्रार्थीगण के उक्त रकबा के दक्षिण दिशा में चक 28 एल.एन.पी. प्रथम के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 21, 20, 11, 10, 1 तक मौके पर स्वीकृत व चालू है। चक 28 एल.एन.पी. प्रथम के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 21, 20, 11, 10, 1 में रास्ता स्वीकृत नहीं होनें के कारण प्रार्थीगण को उक्त रकबा को काश्त करनें के लिये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

चक 28 एल.एन.पी. प्रथम के खाता संख्या 39/44 व 61/44 के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 21, 20, 11, 10, 1 के पश्चिम दिशा में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है चक 28 एल.एन.पी. प्रथम के खाता संख्या 39/44 मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 1 ता 110 प्रत्येक 0.253 हैक्टर व किला नम्बर 11/1 में 0.127 हैक्टर कुल 2.657 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज जमाबन्दी है व चक 28 एल.एन.पी. प्रथम के खाता संख्या

61/44 मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 11/2 में 0.126 हैक्टर व किला नम्बर 12 ता 21 प्रत्येक में 0.253 हैक्टर कुल 2.656 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 3 के नाम दर्ज है जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां संलग्न है अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का नाम उक्त रकबा खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है जिनके रकबा में से रास्ता मन्जूर किये जानें पर किसी प्रकार की कोई कानुनी बाधा नहीं है और ना ही मौके पर किसी प्रकार का कोई निर्माण मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 21, 20, 11, 10, 1 में किया हुआ है जिसमें रास्ता स्वीकृत करनें में कोई बाधा नहीं है रास्ता का नजरी नक्शा संलग्न है।

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगणों को कई बार निवेदन किया गया कि वह प्रार्थीगण को चक 28 एल.एन.पी. प्रथम के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 21, 20, 11, 10, 1 की पश्चिम दिशा में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवा देवे ताकि उसे अपनें उक्त रकबा में आनें जानें व काश्त करनें में कोई परेशानी पैदा ना हो किन्तु बार बार कहनें पर भी अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 आनाकानी करते रहे और दिनांक 16.01.2018 को स्पष्ट रूप से इन्कार कर गये और कहा कि वह उसे कोई रास्ता नहीं देगे। आपको जो करना है, कर लो यह वजह है, कि प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र करना पड़ रहा है।

प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नये प्रावधानों के अनुसार रास्ता स्वीकृत करवानें के अधिकारी है और उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी को किसी भी रास्ता की सुविधा उपलब्ध नहीं है रास्ता दिये जानें से अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा दिये गये प्रावधानों के अनुसार उक्त रास्ता का मुआवजा प्रार्थीगण देनें को तैयार है।

प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि वाके चक 28 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 17 ता 25 के 2.023 हैक्टर रकबा के लिये चक 28 एल.एन.पी. प्रथम के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 21, 20, 11, 10, 1 में पश्चिम दिशा में 1–1 बिस्वा रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के रकबा में स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करनें का आदेश पारित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य सुविधाजनक रास्ता का विकल्प नहीं है, इस मुरब्बा में पूर्व में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं किया हुआ है। अन्य खातेदार की भूमि में से रास्ता दिया जाता है, तो उसके बदले में प्रार्थी को भूमि/मुआवजा के रूप में जो भी न्यायालय का आदेश होगा वो दे देगा यह शपथ पत्र भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न रिपोर्ट है।

अप्रार्थीगण जो सम्मन अदम तामिल प्राप्त होनें पर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तबल किया गया गया एक माह से अधिक समय व्यतित होनें पर भी अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड सम्मन प्राप्त नहीं होनें तथा ना ही ए.डी. की रसीद प्राप्त होनें के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पटवारी हल्काव भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के सन्दर्भ में आज दिनांक 31.05.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गणेशगढ़ में आयोजित लोक अदालत के दौरान रिपोर्ट का मौके पर भौतिक निरीक्षण किया गया दौरानें भौतिक निरीक्षण प्रार्थी चाहे गये रास्ते की मांग उचित होनें के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

लगातार 3

– :: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि वाके चक 28 एल. एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 17 ता 25 के 2.023 हैक्टर रकबा के लिये चक 28 एल.एन.पी. प्रथम के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 21, 20, 11, 10, 1 में पश्चिम दिशा में 1–1 बिस्वा रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के रकबा में स्वीकृत किया जाता है रास्ते की भूमि के बदले मुआवजा स्वरूप डी.एल.सी. दर दुगना प्रार्थी अप्रार्थी को अदा करेगा

प्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि के बदले मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाये जानें के उपरान्त राजस्व अभिलेख में रास्ता का अंकन किया जाकर सम्बंधित काश्तकार को तहसीलदार अपनें स्तर पर राशि का वितरण करना सुनिश्चित करेगें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 31.05.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 4 गणेशगढ़ में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर